हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल शिमला-2 के अवधि 4/94 से 3/95 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

-:-

<u>अवधि 1.4.94 से 31.3.95 तक</u>

<u>भाग- एक</u>

1. <u>गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:-</u> गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न दी जाती है । अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(क) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85</u> :-

1. पैरा 4(4)	अनिर्णीत
2. पैरा 6(10)(ए)	अनिर्णीत

(ख) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88</u> :-

1. पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2. पैरा 5(3)	अनिर्णीत
3. पैरा 5(4)	अनिर्णीत
4. पैरा 5(6)	अनिर्णीत
5. पैरा 9(6)	निर्णीत
6. पैरा 11(1)	निर्णीत

(ग) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89</u> :-

1. पैरा 4(2)(3)	अनिर्णीत
2. पैरा 4(4)डी०एफ	अनिर्णीत
3. पैरा 4(10)	निर्णीत
4. पैरा 4(11,12)	अनिर्णीत
5. पैरा 8	निर्णीत
6. पैरा 9	अनिर्णीत
7. पैरा 12(9)	अनिर्णीत

(घ) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90</u> :-

1. पैरा 4(5)(डी)	अनिर्णीत
2. पैरा 4(6)(बी,4(8) 4(11 व 12)	अनिर्णीत
3. पैरा 4(15)(ए)	निर्णीत
4. पैरा 4(17)	अनिर्णीत
5. पैरा 4(18)	अनिर्णीत
6. पैरा 4(20)	अनिर्णीत
7. पैरा 5(1)	अनिर्णीत
8. पैरा 5(3)	अनिर्णीत
9. पैरा 5(9)	अनिर्णीत
10. पैरा 6(1)	अनिर्णीत
11. पैरा 7	अनिर्णीत

(ङ.) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91</u> :-

प. पैरा 5(क-1,2,3)	अनिर्णीत

लगातार पृ0..2/-

2. पेरा 5(ख-1 से 8 तक) अनिर्णीत
3. पेरा 5(ग-1 से 4 तक) अनिर्णीत
4. पेरा 5(घ-5 से 7 तक) अनिर्णीत
5. पेरा 5(ङ.-1 से 3 तक) अनिर्णीत
6. पेरा 5(च-1 से 7 तक) अनिर्णीत
7. पेरा 5(छ) अनिर्णीत
8. पेरा 5(ज-1 से 7 तक) निर्णीत
9. पेरा 5(झ) 1,2 अनिर्णीत
10. पेरा 5 ञ तथा ट अनिर्णीत
11. पेरा 5(ठ-1,2) अनिर्णीत
12. पेरा 5(ड-1 से 4 तक) अनिर्णीत
13. पेरा 5(ढ-1 से 6 तक) अनिर्णीत
14. पेरा 5(त) अनिर्णीत
15. पेरा 5(थ) 3) अनिर्णीत
16. पेरा 5(ब,भ,म) अनिर्णीत
17. पेरा 6(क,ग,घ,ङ.) अनिर्णीत
18. पेरा 7(क) अनिर्णीत
19. पेरा 10(ख) अनिर्णीत
20. पेरा 11(ख) अनिर्णीत
21. पेरा 12 अनिर्णीत
22. पेरा 13(ग,घ,ङ.) अनिर्णीत
23. पेरा 14(क,ख,ग,ङ.,च) अनिर्णीत
24. पेरा 15(ख,ग) अनिर्णीत
25. पेरा 16(क-1,2)ख,घ,ङ.,झ,ञ,ट) अनिर्णीत

(च) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92 :-</u>

1. पेरा 5(क,ख,ग,घ तथा ठ) निर्णीत
2. पेरा 5(ङ.,च,छ-1,2,ज,झ,ञ,ट,ड-2,ण तथा त अनिर्णीत
3. पेरा 6(ख-1 से 3,घ,ङ.,तथा च) अनिर्णीत
4 पेरा 9(क,ग,घ) अनिर्णीत
5. पेरा 10(क,ख) अनिर्णीत
6. पेरा 11(ख) अनिर्णीत
7. पेरा 12 (क,ख2,घ,ङ.-1 से 2) अनिर्णीत

(छ) <u>लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93</u> :-

1. पेरा 6(क,ख) निर्णीत
2. पेरा 9(ग) निर्णीत

(ज) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94</u> :-

1. पेरा 4(क) निर्णीत
2. पेरा 4(ख) निर्णीत
3. पेरा 5 निर्णीत
4. पेरा 6 निर्णीत
5. पेरा 7(क) अनिर्णीत
6.

लगातार पृ0..3/-

6. पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
7. पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
8. पैरा 8	निर्णीत
9. पैरा 9	निर्णीत
10. पैरा 10	निर्णीत
10. पैरा 11	निर्णीत
12. पैरा 12(क,ख)	निर्णीत
13. पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
14. पैरा 12(घ)	अनिर्णीत
15 पैरा 12(च)	अनिर्णीत
16. पैरा 12(छ व ज)	निर्णीत
17. पैरा 13	निर्णीत
18. पैरा 14	निर्णीत
19. पैरा 15	निर्णीत
20. पैरा 16,17 और 18	निर्णीत
21. पैरा 19	अनिर्णीत
22. पैरा 20	निर्णीत
23. पैरा 21	अनिर्णीत
24. पैरा 22,23,24,25,26	निर्णीत
25. पैरा 27 (क)	अनिर्णीत
26. पैरा 27(ख)	निर्णीत
27. पैरा 28(क,ख)	अनिर्णीत
28. पैरा 28(ग)	निर्णीत
29. पैरा 29(क)	अनिर्णीत
30. पैरा 29(ख,ग)	निर्णीत
31. पैरा 30,31,32(क)	निर्णीत
32. पैरा 32 (ख तथा ग)	अनिर्णीत
33. पैरा 32(घ)	निर्णीत
34. पैरा 33(क,ख)	अनिर्णीत
35. पैरा 34	निर्णीत
36. पैरा 35	निर्णीत

<u>भाग-दो</u>

2. <u>वर्तमान लेखा परीक्षण</u> :- वर्तमान लेखा परीक्षण 4/94 से 3/95 की अवधि का, जिस के परिणाम आगामी पैरों में दिए गये है, सर्व श्री एस0आर0 रंजन, एस0एस0 कायथ, डी0आर0 चौहान तथा एस0सी0 गुप्ता, अनुभाग अधिकारियों द्वारा 29.1.96 से 2.3.96 तक शिमला में किया गया । मास 6/94 तथा 3/95 के लेखों का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किए गये ।

3. <u>लेखा परीक्षण शुल्क</u> :- निर्माण मण्डल शिमला के वर्ष 1994-95 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु हि0 प्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा ।

लगातार पृ0..4/-

4. **अग्रिम :-**

(क) कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :- हि०प्र० आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 31.3.95 को रु083220.18 रुपये की राशि अग्रिमों के रूप में समायोजन के लिए बकाया में पड़ी थी जिस का पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा अब इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाएं। लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

(ख) विविध अग्रिम :- हि०प्र० आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.95 को रु023,20,886.76 रुपये की राशि समायोजनार्थ शेष पड़ी थी। इस राशि का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया दिया गया है। उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूली/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। इस के विपरीत अग्रिम राशि को वसूलने/समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गये। अत: यह प्रकरण अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु ला लाया जाता है।

5. **राजस्व आय :- निगम विहार भवन के साथ 5 भण्डार कमरों (स्टोर) के किराए की रु071246/-रुपये की राशि की वसूली न करना**

लेखा परीक्षण में पाया गया कि हि०प्र० आवास बोर्ड निगम विहार भवन के साथ 5 भण्डार प्रकोष्ट हैं जो निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं को किराये पर दिये हैं। इस का किराया पत्र संख्या:एच० बी०डी०बी० (दफ्तर भवन)/83-खण्ड-5 दिनांक 2.8.86 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया गया है।

सम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार इन विभागों/संस्थाओं से 31.3.95 तक किराए की निम्न राशियां वसूल करनी शेष थी।

कमरों का क्रमांक	विभाग का नाम	किराये पर देने की तिथी	समय अवधि	किराया प्रतिमास	कुल देय राशि	राशि जो प्राप्त नहीं हुई।
1.	आर०डी० विभाग	1.4.82	1.4.82 से 31.3.95 (156 मास)	400/-	62400	800
2.	एच०पी०एम०सी०	9.3.82	1.3.82 से 31.3.95 (157 मास)	398/-	62486	33034
3. (I)	यूको बैंक निगम विहार	1.3.92	1.3.92 से 31.10.95 (44 मास)	398/-	17512	17512
(II)	इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरस (इन्स्टीट्यूट — हस्तलिखित)	1.11.85	1.11.85 से 25.12.89 (50 मास)	398/-	19900	19900
					162298	71246

लगातार पृ०..5/-

किराया रजिस्टर के मुताबिक रु०162298/-रुपये में से केवल 91052/-रु विभिन्न विभागों/संस्थाओं से 31.3.95 तक प्राप्त हो गये हैं परन्तु वसूल की गई 91052/-रुपये की राशि में से रु०83852/-रुपये की राशि की प्राप्ति की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी क्योंकि निर्माण मण्डल द्वारा आपेक्षित अभिलेख बार-2 मांगने पर भी नहीं दिखाए गये। शेष 71246/-रुपये की वसूली हेतु शिमला मण्डल द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अत: यह मामला बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। शेष किराये की वसूली हेतु शीघ्र समुचित कार्यवाही किए जाने के अतिरिक्त उपरोक्त रु०83352/-रुपये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

6. आवास बस्ती सन्जोली के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च,1995 तक <u>1,10,478/-रु० की राशि के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना</u>

आवास बोर्ड की संजोली की बस्ती से प्राप्त होने वाले रख-रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मण्डल कार्यालय में नहीं रखा गया हैं जिस का समय-2 पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त लम्बित पड़ी प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली राशियों की वसूली के लिए मण्डल स्तर पर प्रयास किया जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उप मण्डल को इन वसूलियों को तुरन्त या नियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सकें। इस के अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियां शेष हैं का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में दर्ज करना भी अनिवार्य हैं क्योंकि सम्पुर्ण डेबिटर्ज तथा क्रेडिटर्ज का तभी पता चल सकेगा। उप मण्डल संजौली द्वारा रखे गये रख-रखाव प्रभार के खाते की जांच के दौरान यह पाया गया कि 31.3.95 तक संजौली बस्ती के मकान/प्लाट मालिकों से लगभग 1,10,478/-रुपये की वसूलियां शेष थी तथा कुछ मकान मालिकों/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागु करने की तिथि से अंकेक्षण की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी और रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता हैं कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अत: शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए 31.3.95 तक इस प्रभार की शेष राशियों, जो वसूल करनी हैं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं० नाम	प्लाट/मकान न०	राशि(रु०में)
1. श्री रजनीश जैन	बी-2/1	1130
2. श्री सुरेश कुमार	बी-4/1	1130
3. श्री भाई गोबिन्द सिंह	बी-2/3	189
4. डा० जे०सी० मदान	बी-3/3	1130
5. प्रवीण सभ्रवाल	बी-4/5	1066
6. श्रीमति रीता जग्गी	बी-3/6	1130

लगातारपृ०..6/-

7. श्रीमति सुदेश शर्मा	बी-4/6	1130
8. -"- सावित्री जैन	सी-4/1	808
9. श्री राकेश आर्य	सी-4/2	740
10. श्री वीरेन्द्र पाल सिंह	सी-3/3	1130
11. श्री पी०एस० मारवाह	सी-2/5	1130
12. डा० मदन मोहन	सी-3/5	791
13. श्री परमानन्द	सी-4/5	1066
14. श्री कविन्द्र गुप्ता	सी-3/6	1130
15. श्री केप्टन प्रिथीफिलिप	ए-4/1	398
16. श्री विंग कमांडर अमोलक सिंह	ए-4/3	1042
17. श्री केप्टन बी०पी० सिंह	डी-2X1	404
18. श्रीमति आशा रानी	डी-3/2	169
19. डा०(मिस) सुजाता लखानी	डी-2/3	398
20. श्री एस०के० जैन	डी-4/3	661
21. श्री मस्त राम	डी-2/ए	1144
22. श्री गुलाब सिंह	डी-3/4	963
23. श्री ग्रेगरी अन्थोनी	डी-4/4	34
24. श्री जे०डी० नेहरू	ए-4/4	58
25. श्री दीवान चन्द	बी-3/4	1119
26. श्री तिलक राज	सी-4/4	1081
27. श्री सुमन कुमार	ए-1/9	469
28. श्री जनक राज	ए-1/10	622
29. श्री [illegible] शर्मा	बी-2/9	666
30. श्री संजय गुप्ता	बी-3/11	111
31. मिस कुसुम बोहरा	बी-3/12	573
32. श्री एम०डी० सक्सेना	सी-3/7	752
33. ले० कर्नल आई०डी० भारद्वाज	सी-1/8	752
34. श्री हरमन्दर सिंह	सी-3/8	660
35. श्रीमति उर्मिला गुप्ता	सी-1/9	752
36. श्री रमेश चन्द्र कुठियाला	सी-2/9	752
37. श्री विजय भाटिया	सी-1/10	157
38. श्री अविनाश चन्द्र	सी-2/10	752
39. श्री आर०के० सोनी	डी-1/7	479
40. श्री परमजीत सिंह	डी-3/7	662
41. श्रीमति इन्द्रजीत कौर	डी-2/9	78
42. श्रीमति राज सोढी	डी-3/10	604
43. श्री मोहिन्द्र प्रताप कौशिक	डी-2/10	365
44. श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह	डी-1/11	359
45. ले० कर्नल एन०के०धीर	डी-1/10	111
46. श्रीमति अमृत मलिक	डी-2/7	265
47. श्री विपीन चन्द्र मेहता	एम०आई०जी-1	437

लगातार पृ०..7/-

— 277 —

48. श्री मान सिंह	एम0आई0जी-5		114
49. श्री प्रमोद कुमार	-"-	(एच)-19	5303
50. श्री विनोद सिंह गुप्ता	-"-	-23	4̶5320
51. श्री कुलदीप चन्द्र	-"-	-20	3775
52. श्री ~~रके~~ राकेश कुमार	-"-	-24	4503
53. केप्टन एस0सी0पीला	-"-	-25	5506
54. श्री राजकुमार मेहरा	एल0आई0जी0(एच)29		2483
55. श्री कंवर सिंह	-"-	-30	931
56. सुश्री सीमा	-"-	-31	2762
57. कर्नल एच0एस0 चौहान	-"-	-32	291
58. श्री योग राज	-"-	-33	1711
59. श्री देविन्दर मोहन	-"-	-34	2321
60. श्री राम स्वरूप	-"-	-42	2962
61. श्री नन्द लाल	-"-	-45	2482
62. श्री रामेश्वर गुप्ता	-"-	-46	2360
63. श्रीमति परमेश्वरी देवी	-"-	-47	336
64. श्री प्रेम लाल जौहर	-"-	-48	2082
65. श्री सुरेन्द्र पाल	-"-	-49	1698
66. श्री श्याम नन्द	-"-	-50	1483
67. श्री आई0डी0 सेहर	इ0डब्ल्यू0एस0-159		874
68. श्री रमेश गुप्ता	-"-	-160	924
69. श्री अनिल कुमार	-"-	-164	924
70. श्री अरविन्द इसार	-"-	-165	924
71. श्री भारत भूषण	-"-	-166	142
72. श्री सोहन लाल	-"-	-167	924
73. श्रीमति लीला देवी	-"-	-168	924
74. श्री नरेश कुमार	-"-	-169	924
75. श्री भीम सेन	-"-	-170	924
76. श्री मति गुरमीत कौर	-"-	-172	924
77. श्री मनोहर लाल	-"-	-174	334
78. श्री अशोक कुमार	-"-	-175	962
79. श्री मोती राम	-"-	-177	962
80. श्री गिरधारी लाल	-"-	-171	962
81. डा0 मनोरंजन दास	एम0आई0जी0(पी) -8		4814
82. श्रीमति बलजीत कौर	-"-	-9	708
83. श्री सुशील बधुवेना	-"-	-12	708
84. मेजर एच0एस0 जार्ज	-"-	-15	4802
85. श्री एन0एन0 रैना	-"-	-21	2270
86. श्री बलबीर सिंह	एल0आई0जी0(पी)-36		1400
87. श्री कांशी राम	-"-	-37	203
88. श्री गुलाब सिंह	-"-	-40	1495

लगातार पृ0..8/-

— 278 —

89.	श्री राजिन्द्र कुमार	एल0आई0जी0(पी)-51	1303
90.	श्री वीर सिंह	-"- -53	212
91.	श्री मति किरन सूद	-"- -56	1105
92.	श्री ओ0पी0 पाठक	एम0आई0जी0(पी)-22	858
			1,10,478

7. (क) वर्ष 1994-95 में संविदाकारों से रु02,66,883/-रुपये सेल टैक्स की वसूली न करना ।

दिनांक 31.7.93 से संविदाकारो के भुगतान बिलों में से किए गये निर्माण कार्य की कुल लागत के 2% की दर से सेल टैक्स वसूल किया जाना अपेक्षित था परन्तु यह देखा गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकारों के भुगतान बिलों में से सेल टैक्स की वसूली नहीं की गई । सेल टैक्स की वसूली न किए जाने के फलस्वरूप सरकारी कोष को अत्याधिक मात्रा में अधिक हानि हुई है । अंकेक्षण अवधि के दौरान संविदाकारो को किए गये निम्नलिखित भुगतानों में से सेल टैक्स की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए :-

वा0 सं0	दिनांक	राशि (रु0में)	सेल टैक्स (रु0 में)	संविदाकार का नाम
28	8.4.94	19664	393	श्री मोहन सिंह चौहान
30	8.4.94	19648	393	—यथोपरि—
36	16.4.94	10685	214	मैं0 शर्मा स्प्रे वर्क्स
60	22.4.94	16937	339	श्री विजय कुमार
62	22.4.94	6652	133	—यथोपरि—
64	22.4.94	19837	398	श्री धर्म सिंह
88	26.4.94	9132	183	श्री अश्वनी कुमार
94	29.4.94	166396	3328	—यथोपरि—
114	30.4.94	235245	4705	श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्ज
116	30.4.94	154538	3091	श्री राजिन्द्र चौहान
28	9.5.94	504077	10082	श्री प्रेम सिंह
38	10.5.94	849143	16983	श्री विकास इन्टरप्राईज
61	18.5.94	49869	997	श्री लायकराम शर्मा
63	18.5.94	1780833	35617	श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्ज
76	23.5.94	15291	306	श्री बली राम शर्मा
79	24.5.94	3045260	60905	श्री अशोक कुमार शर्मा
90	27.5.94	16281	326	श्री ब्रहम नन्द
92	27.5.94	19540	391	श्री अश्वनी कुमार
109	31.5.94	344991	6900	श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्ज
9	2.6.94	14290	286	श्री बलविन्द्र सिंह
11.	2.6.94	9513	190	—यथोपरि—
13	2.6.94	15046	301	—यथोपरि—
43	8.6.94	44797	896	श्री मधुसूदन
60	13.6.94	151493	3030	श्री तरुण कुमार

लगातार पृ0..9/-

93	17.6.94	1026219	20525	श्री प्रेम सिंह
106	20.6.94	19829	397	श्री मोहन सिंह
109	20.6.94	6703	134	--यथोपरि--
110	20.6.94	8981	180	--यथोपरि--
167	25.6.94	436388	8728	श्री गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्ज
170	28.6.94	3867042	77341	श्री सतीश कुमार गोयल
185	29.6.94	9305	186	श्री बलीराम शर्मा
204	30.6.94	10637	213	श्री डी0के0 लखनपाल
206	30.6.94	11018	221	--यथोपरि--
208	30.6.94	36640	733	श्री मोहन सिंह चौहान
210	30.6.94	6048	121	श्री डी0के0 लखनपाल
214	30.6.94	8258	165	--यथोपरि--
216	30.6.94	13311	266	--यथोपरि--
13	8.2.95	77029	1541	श्री अजय गुप्ता
106	23.3.95	10500	200	मै0 नेशनल बायल टैस्टिंग क0
108	23.3.95	10000	200	--यथोपरि--
135	31.3.95	138277	2766	श्री प्रेम सिंह
142	31.3.95	12870	257	श्री योगिन्द्र प्रकाश
144	31.3.95	115738	2315	श्री अजय गुप्ता

सेल टैक्स की कुल राशि :-...2,66,883/-रूपये

{ख} अंकेक्षण अवधि से पूर्व अर्थात 31.7.93 से 31.3.94 तक संविदाकारों को किए गये भुगतानों में से सेल टैक्स की गणना करके देय राशियों की वसूली भी शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए

8. वाउचर संख्या:157 दिनांक 31.3.95 राशि 54775/-रूपये

{क} उपरोक्त बिल अनुसार कार्य की लागत का सार माप पुस्तिका संख्या:714/87 पृष्ठ संख्या 57 से 71 तक कुल राशि 9,30,664.34 रु0 का किया गया है । अनुबन्ध मद संख्या:13/15 की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या:7967/94 पृष्ट 44 पर स्केयरड रबल मेसनरी सीमेंट मारटर 1:6 की गणना का जोड़ 15.67 घन मीटर के स्थान पर 15.87 घन मीटर का किया गया है । इस प्रकार 0.20 घन मीटर का 600 प्रति घन मीटर की दर से 120 रूपये का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि को दोषी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

{ख} सातवें चलत बिल तक 1800 सीमेन्ट की बोरियों की खपत की गई है । अनुबन्ध की शर्त संख्या 42{2} के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय बेग कोलेक्टिंग एजेन्ट से खप्त की गई सीमेन्ट की बोरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत खाली बोरियों की रसीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरियों में से कम से कम 90% खाली बोरियों की वसूली संविदाकार

लगातार पृ0..10/-

से रु0 एक रूपया प्रतिबोरी के हिसाब से की जानी थी । किन्तु वर्तमान प्रकरण में सातवें चलत बिल तक किसी भी बिल का भुगतान करते समय न तो संविदाकार से अनुबन्ध की शर्त के अनुसार रसीद प्राप्त की गई और न ही खाली बोरियों की रसीद प्रस्तुत न करने के कारण उन से नियमानुसार वसूली की गई । इस अनियमितता बारे स्थिति अनुपालन आगामी अंकेक्षण पर स्पष्ट की जाये व उपरोक्त शर्तानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9. <u>वाउचर संख्या:60 दिनांक 13.6.94 राशि 22531/-रूपये</u>

4 न0 बैरेक्स §ग्रुप-I§ जेल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का ठेका श्री तरूण कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1988-89, अवार्ड पत्र संख्या:एच0बी0ई0/ए-2§282§/88-413-19 दिनांक 24.4.88 को राशि 12,36,043 रूपये का दिया गया ।

§क§ माप पुस्तिका संख्या 695/87 के पृष्ट-11 के अनुसार यह कार्य दिनांक 11.5.88 को आरम्भ हुआ और पत्र संख्या:एच0बी0ई 0/ए-2 §282§/88-1180-83, दिनांक 18.3.89 के अनुसार यह कार्य रिसाइन्ड कर दिया गया । अत: उपरोक्त 10 महीने की अवधि में संविदाकार ने मात्र 1,47,886.81 रूपये का ही निर्माण कार्य किया । बार-बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य संतोषजनक गति से नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अनुबन्ध रद्द कर दिया गया । अनुबन्ध की क्लाउज संख्या:2 व 3 के अनुसार संविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति की वापसी न करना तथा ठेके की कुल राशि यानी 12,36,043 रूपये पर 10% की दर से मुआवजा स्वरूप वसूल किया जाना निश्चित किया गया । पांचवे व अन्तिम बिल जिस की प्रविष्ट माप पुस्तिका संख्या:695/87 पृष्ट 11 से 16 व 30-31 पर की गई है की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार ने सिर्फ 1,47,886.81 रु रूपये का ही कार्य किया । किए गये कार्य अनुसार केवल 16 मदों का निर्माण कार्य ही किया गया जिन में 9 अतिरिक्त मदें थी जिनकी निर्माण लागत 63801.01 बनती थी । अनुबन्ध अनुसार केवल 7 मदों का ही निर्माण किया गया जिन की निर्माण लागत 84085.80 रूपये बनती थी । इस से प्रतीत होता है कि संविदाकार जानबूझ कर निर्माण कार्य को पूरा करने में टाल-मटोल करता रहा तथा अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या:एच0बी0ई0/ए2§282§/88-4325 दिनांक 24.7.93 के अनुसार अनुरोध करने पर भी संविदाकार ने जानबूझ कर कार्य दोबारा शुरू नहीं किया । परन्तु संविदाकार ने आरबिट्रेशन का सहारा लिया साईट आर्डर बुक के अनुसार कार्य स्थल 11.5.88 को, ड्राईंग डिजाईन 23.5.88,28.12.88 को, 200 बोरी सीमेन्ट 15.7.1988 व 150 बोरी सीमेन्ट 11.5.88 को सपुर्द किए गये । चलत बिलों का भुगतान समय पर किया गया तथा पानी का उचित प्रबन्ध सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि कार्य को न निपटाए जाने में संविदाकार का ही सारा दोष था तथा इस प्रकार मुआवजा कार्य की

कुल लागत का 10% अर्थात 1,23,604 रुपये वसूल किया जाना उचित था । परन्तु पत्र संख्या:एच0बी0-15-172/88-तकनीकी-खण्ड-1 दिनांक 23.5.94 द्वारा मुआवजे की राशि 10% से घटाकर 0.1% अर्थात 1,23,604 रुपये से 1236.04 रुपये कर दी गई । पांचवे चलत बिल का भुगतान दिनांक 13.6.94 को कर दिया गया । अंकेक्षण के दौरान यह नहीं बताया गया कि मुआवजे की राशि को 10% से घटा कर 0.1% किस आधार पर कर दिया गया जबकि दोष सारा संविदाकार का ही था । इस निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाए तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अवगत कराया जाए ।

(ख) उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को दिए गये सीमेन्ट तथा उस की वसूली का विवरण निम्न था :-

इन्डैंट संख्या:6798 दिनांक 28.5.88 =	150 बोरी
इन्डैंट संख्या:7127 दिनांक 15.7.88 =	200 बोरी
कुल सीमेन्ट दिया गया =	350 बोरी
पांचवे एवं अन्तिम बिल तक खपत =	262 बोरी
संविदाकार के पास बिना खपत बचा =	88 बोरी

वसूली की गई =345 बोरी@ 58/-प्रतिबोरी=20010 तथा 4234 =24244/-रुपये

वसूली होनी थी=262 बोरी @ 58/-प्रतिबोरी =15196
88 बोरी @ 116/-प्रतिबोरी=10208
कुल =25404

कम वसूली हुई =25404-24244=1160/-रुपये

उपरोक्त कम वसूल की गई 1160/-रुपये की राशि को दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

10. वाउचर संख्या:15 दिनांक 4.3.95 राशि 89048/-रुपये

4 न0 बैरेक्स, जे-ल बिल्डिंग काण्डा (ग्रुप-1) का निर्माण कार्य का ठेका श्री अश्वनी कुमार संविदाकार को अनुबन्ध संख्या:3 वर्ष 1994-95 अवार्ड पत्र संख्या:एच0बी0ई0/डब्ल्यू-107/93-2513-20 दिनांक 1.7.94 के द्वारा रु014,59,128.49 रुपये की राशि का दिया गया ।

(क) छटे चलत बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध मद संख्या:8 प्रोवाडिंग एण्ड लेयींग सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन मैन स्लेब आफ फर्स्ट फ्लोर में रिकार्ड प्रविष्टि की गणना माप पुस्तिका संख्या: 779190 पृ042 पर गलत की गई थी :-

की गई गणना = 1x2x31'-9"x15'-9"x0'-5"=1081-55 सी0फ0टी
अर्थात =30.61 घन मीटर

अंकेक्षण पर की = 1x2x31'-9"x15'-9"x0'-5" =1055.80 सी0फ0टी0
गई गणना अर्थात =29.88 घन मीटर

लगातार पृ0.12/-

इस प्रकार 0.73 घन मीटर (30.61-29.88) का भुगतान 1500 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कुल 1095 रुपये अधिक कर दिया गया । इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए ।

(ख) सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन स्लेब में सीमेन्ट की खपत 0.73 घन मीटर 6.40 बोरी प्रति घन मीटर की दर से 4.672 बोरी अर्थात 5 बोरी सीमेन्ट की वसूली 112+3% प्रति बोरी के हिसाब से कुल राशि 576 रुपये दोषी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(ग) इसी प्रकार चलत बिल की मद संख्या:19 प्रोवाइडिंग एण्ड लेयिंग सी सीमेन्ट कंक्रीट 1:8:16 इन फाउंडेशन एण्ड प्लीन्थ की गणना गलत की गई थी ।

नाम	माप	की गई गणना
बेरेक्स	1×60'-0"×15'-1½"×0-2"	154.22 सी०फे०टी०
पासेज	1×60'-0×7'-0×0-2"	71.40 सी०फे०टी०
		225.62 सी०एफ०टी०
		अर्थात =6.00 घन मीटर

बेरेक्स =1×60'-0×15'-1½×0'-2" =145.15 सी.एफ.टी

पासेज =1×60'-0×7'-0×0'-2" 267.22 सी.एफ.टी 212.37 सी.एफ.टी अर्थात 6.00 घन मीटर

उपरोक्त 0.39 घन मी० (6.39 घन मी०-6 घन मी०) गणना में अधिक किए जाने के कारण 450/-रुपये प्रति घन मी० की दर से संविदाकार को 176 रुपये का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि की वसूली दोषी से की जाए ।

11. <u>वाउचर संख्या:93 दिनांक 17.6.94 राशि 1,77,272/-रुपये</u>

लेक्चर थियेटर-कम-रिक्रेशन हाल के निर्माण का ठेका श्री प्रेम सिंह संविदाकार को अनुबन्ध संख्या:18 वर्ष 1989-90, अवार्ड पत्र संख्या: एच०बी०ई०-(डी०बी०)ए-2(304)/88-627-76 दिनांक 11.12.89 द्वारा रु०11,89,698/19 रुपये में दिया गया जो कि हिमाचल प्रदेश शड्युल आफ रेटस,1987 की दरों से 39.56% अधिक था ।

(क) सातवें चलत बिल जो कि रु०10,27,973.88 रुपये का था तथा जिस की लागत एवं रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या:584/85 (पृष्ठ 49 से 57) तथा 306/80 (पृष्ठ 74 से 90) तक की गई है, की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्रोवाइडिंग वुड वर्क इन फ्रेमज आफ कालम सीलिंग अनुबन्ध की मद संख्या:17 के तहत वर्टिकल सुपोर्ट की गणना 6×6×1.25×0.60×0.05=0.135 एम^3 को कुल 0.284 घन मीटर में जमा किया गया है परन्तु बाद में इस प्रविष्ट को लाईन मार कर काट दिया है । इस प्रकार 0.284-0.135=0.149 घन मीटर की ही अदायगी होनी थी परन्तु माप पुस्तिका संख्या:306/80 पृष्ट-81 पर 0.284 घन मीटर का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार 0.135 घन मीटर का 13000 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 1755 रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए ।

(ख) सातवें चलत बिल तक 1602 बोरियां सीमेन्ट की खपत की गई है

लगातार पृ०.13/-

अनुबन्ध की क्लाउज 42 के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक चलत बिल के साथ यह प्रमाण पत्र लगाना होता है कि उस ने खाली सीमेन्ट की बोरियों को अधिकृत सीमेन्ट खाली बैग कोलेक्टिंग अजेंट के पास जमा करवा दिया है । यदि इस प्रकार का प्रमाण पत्र चलत बिल के साथ न हो तो संविदाकार से कुल खपत की गई खाली बोरियों का 90 प्रतिशत की वसूली प्रति 1.00 रुपया की दर से करनी होती है । उपरोक्त बिल के साथ न तो वांछित प्रमाण पत्र था और न ही संविदाकार से 1442 रुपये (1602×90%×1.00) की वसूली की गई है । अतः संविदाकार से इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए ।

(ग) <u>मदों का अधिक निष्पादन</u> :-

सातवें चलत बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या:306/80 पृष्ट 74 से 90 तक के अवलोकन से विदित होता है कि सातवें चलत बिल तक ही निम्नलिखित मदों का निष्पादन अनुबन्ध के साथ संलग्न शडयुल आफ क्वान्टिटी से बहुत अधिक हो चुका था :-

क्र0 सं0	विवरण	मद संख्या	शडयूल आफ क्वांटिटी निर्धारित प्रमात्रा	सातवें बिल बिल प्रमात्रा	निष्पा- प्रतिशत मात्रा
1.	कटिंग इन अर्थ वर्क	1	286.65 घन मीटर	1684.01	487%
2.	अपलाईंग कोट आफ होट बिटुमन	6	8.58 वर्ग मीटर	136.81	1595%
3.	पी0/एल 1:2:4 सीमेन्ट कंक्रीट	7(ब)	41.51 घन मीटर	64.50	55%
4.	आर0आर0 मेसनरी	11	65.66 घन मीटर	152.71	133%
5.	एस0आर0मेसनरी फाउडेशन एण्ड प्लींथ	12	30.56 घन मीटर	79.86	161%
6.	एस0आर0 मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर	13	30.82 घन मीटर	52.91	72%
7.	वुड वर्क इन फ्रेमज	17	4.43 घन मीटर	6.47	46%
8.	अपलाईंग टु कोट आफ वुड प्राइमटिव	42	150.00 वर्ग मीटर	362.24	141%

उपरोक्त अत्याधिक प्रमात्रा में विचलन के संदर्भ में कारणों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए और इस बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृती लेकर नियमित करवाया जाए ।

12. <u>वाउचर संख्या 137 दिनांक 31.8.95 राशि 154965 रुपये</u>

सामाजिक आवासीय कालोनी रोहतक में 4 न0 एच0आई0जी-I के मकानों के निर्माण का ठेका श्री कंवर सिंह संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 7 वर्ष 1994-95, अवार्ड पत्र संख्या एच0बी0ई/डब्ल्यू-108/93-3292-99 दिनांक 4.8.94 राशि 7,92,254.10 रुपये का दिया गया ।

दूसरे चलत बिल के सम्बन्ध में माप पुस्तिका संख्या 7951/94 पृ0 29 से 42 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि प्रोवाडिंग वुड वर्क इन फ्रेमज आफ डोरज एण्ड विंडोज को रिकार्ड इन्ट्रीज की गणना निम्नानुसार गलत की गई थी :-

माप पुस्तिका खण्ड	रिकार्ड इन्द्री का विवरण	की गई गणना	शुद्ध गणना
7951/94	3×3×2×0.075×0.100×0.063	0.010	.008
पृष्ठ 33	3×3×2×0.0[illegible]1000×0.063	0.010	.008
		0.020 घनमी0	.016घनमी0

इस प्रकार गलत गणना करके इस कार्य हेतु 0.004 घन मी0 की 19000/-रु0 प्रति घन मी0 की दर से संविदाकार को 76 रुपये का अधिक भुगतान हुआ । इस राशि को दोषी से वसूल कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

13. <u>वाउचर संख्या 166 दिनांक 28.6.94 राशि 1371/-रुपये</u>

मै0 शिमला आयरन एण्ड हार्डवेयर, शिमला-1 से उन के डुप्लीकेट बिल दिनांक 29.5.85 द्वारा 22 ए0सी0सी0 शीटस 4×4' / 4 एम०एम राशि 1371 रुपये में क्रय की गई थी । यह सामान 29.5.85 को खरीदा गया और इस सामान के क्रय हेतु कार्योत्तर स्वीकृति पत्र संख्या एच0 बी0ई0/एस-10-खण्ड-22/94-2341-42 दिनांक 28.6.94 द्वारा अर्थात सामान क्रय करने के 9 वर्ष उपरान्त प्रदान की गई । इस के अतिरिक्त इस खरीद से सम्बन्धित अन्य अभिलेख जैसे कि एस0ए0एस0 रजिस्टर माप पुस्तिका, निविदाएं, सामान की जमा इत्यादि अभिलेख भी अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया । उपरोक्त अभिलेख की अनुपस्थिति में तथा बिल का भुगतान क्रय की तिथि से 9 वर्ष पश्चात (वह भी डुपलीकेट बिल द्वारा) किए जाने के कारण यह खरीद संदिग्ध प्रतीत होती है । यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक जांच हेतु लाई जाती है ।

इस भुगतान को अत्यधिक लम्बे समय के बाद किए जाने के कारणों सहित उपरोक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि को दोषी से शीघ्र वसूल किया जाए ।

14. <u>समायोजन वाउचर संख्या:22 मास3/95(एस)राशि 1466/-रुपये</u>

इस समायोजन वाउचर द्वारा श्री दयानन्द शर्मा, वरिष्ठ सहायक को अवकाश रियायती यात्रा दावा शिमला से वैष्णुदेवी जी तक 1466 रुपये का भुगतान किया गया । इस दावे की जांच पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

(क) रियायती अवकाश यात्रा दावे का भुगतान करते समय आने व जाने का बस किराया शिमला से वैष्णुदेवी जी तक सीधे भुगतान करने के बजाए शिमला से वाया धर्मशाला-चामुण्डा किया गया । इस प्रकार उक्त कर्मचारी को 174 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि को दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूल किया जाए ।

(ख) इस यात्रा हेतु उपरोक्त कर्मचारी को 3500 रुपये का अग्रिम भुगतान 28.12.94 को किया गया था । अग्रिम की शेष बची राशि

लगातार पृ0..15/-

— 285 —

2034 रूपये रसीद संख्या 1760 दिनांक 15.6.95 को जमा करवाई गई शेष बची राशि को अविलम्ब जमा न किए जाने के फलस्वरूप देय ब्याज की गणना करके इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए ।

[ग] अनुमानित व्यय से भी लगभग $2\frac{1}{2}$ गुणा अधिक अग्रिम दिए जाने बारे भी औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

15. <u>समायोजन वाउचर संख्या 14 माह 6/94 राशि 6084/-रूपये</u>

उपरोक्त समयोजन वाउचर द्वारा 1095 रूपये की राशि मै0 लाइट एण्ड साउण्ड हाउस संजौली को निम्न लिखित सामान के किराए के रूप में भुगतान की गई :-

टैन्ट 15×15	3 न0	130.00	390
कनाटज	8 न0	40.00	320
कुर्सियां	60 न0	3.50	210
बड़ी प्लेटें	8 न0	2.50	20
मेज	2 न0	25.00	50
बेड शीटस	6 न0	10.00	60
कप और प्लेटें	30 न0	1.50	45

कुल किराया दिया गया <u>1095.00</u> रूपये

उपरोक्त सामान आवास बोर्ड कलौनी संजौली में कुओं की नीलामी वाले दिन 20.10.93 को बैठने हेतु किराए पर लेने हेतु स्थान लिया गया था । इस सामान को किराए पर लेने हेतु न तो सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति ही प्राप्त की गई और न ही कोई निविदा आदि मंगवाई गई । इस के अतिरिक्त सामान का दिया गया किराया अत्यधिक प्रतीत होता है । यह अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है ।

16. विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित एम0ए0एस0 रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्येक कनिष्ट अभियन्ता द्वारा प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग एम0ए0एस0 रजिस्टरों का रख-रखाव किया गया था परन्तु यह अभिलेख नहीं रखा गया कि प्रत्येक कनिष्ट अभियन्ता द्वारा द्वारा कुल कितने रजिस्टरों का रख-रखाव किया गया था । अत: विभिन्न रजिस्टरों अनुसार पड़े शेष सामान के उपयोग बारे सही जांच न हो सकी । यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि कुल कितने एम0 एस0एस0 रजिस्टर अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गये * इस प्रकार ऐसे रजिस्टरों में पड़े सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: भविष्य में अनुपालना हेतु सलाह दी जाती है कि प्रत्येक कनिष्ट अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित सामान को अलग-अलग पृष्ठों पर दर्ज करके केवल एकही एम0ए0एस0 रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए ।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभिन्न कनिष्ट अभियन्ताओं के पास शेष पड़े सामान को विभिन्न एम0ए0एस0 रजिस्टरों

लगातार पृ0..16/-

प्रविष्ट समय-समय पर नए रजिस्टरों पर हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए

17. कार्य का नाम :- स्वत: वित्तयोजना ढोलन के निर्माण कार्य के 24 न0 श्रेणी-2 फ्लैट के स्लीप को हटाना

बिल की क्रम सं0 प्रथम व अंतिम बिल

संविदाकार का नाम: श्री अशोक कुमार

कार्य आदेश सं0 12 वर्ष 1994-95

उपरोक्त बिल का भुगतान संविदाकार को वाउचर सं052 दिनांक 10.6.94 द्वारा किया गया । पारित किए गए बिल में से प्रतिभूति के रूप में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई थी केवल 20.00 रूपये की राशि बयाना के रूप में कार्य आवंटित करते समय ठेकेदार से ली गई थी । परन्तु माप पुस्तिका संख्या:877/94 के पृ014 का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को रु077.00 रूपये की राशि प्रतिभूति के रूप वापिस लौटाने हेतु आवश्यक इन्दराज करके भुगतान किया गया है जबकि ठेकेदार को केवल 20.00 रूपये की ही अदायगी की जानी आपेक्षित थी इस प्रकार अधिक किए गए भुगतान राशि राशि रु057.00 रूपये की वसूली संविदाकार से की जाए व अनुपालना का सच्चापन आगामी अंकेक्षण के समय करवाया जाए ।

18. कार्य का नाम : स्वत: वित योजना, संजौली के 32 न0 श्रेणी-2 फ्लैट पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सिस्टम प्रविष्ट फेस-2

बिल की क्रम सं0 3 पाचवा चालू बिल ।

संविदाकार का नाम : श्री महेन्द्र सिंह मोलटी

अनुबन्ध सं0 : 1 वर्ष 1994-95

वाउचर संख्या 16 दिनांक 31.3.95 राशि 2,61,234.00 रूपये

[क] उपरोक्त वर्णित बिल का भुगतान संविदाकार को करते समय अनुबन्ध सं0 1 वर्ष 1994-95 की मद सं04[डी], जिसमें बीम कैन्टीलीवर गरडरस व लिंटलस को साधारण लकड़ी से फोर्म वर्क सम्मिलित था । हेतु 1194.11 वर्ग मीटर के किए गए कार्य के लिए 70.00 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 83,587.70 रूपये की अदायगी की गई । परन्तु वास्तव में किए गए कार्य की गणना केवल 1188.23 वर्ग मीटर ही आती थी । रिकार्ड प्रविष्टी माप पुस्तिका संख्या 885 के पृष्ठ 100 पर 8.82 वर्ग मीटर के स्थान पर 14.70 वर्ग मीटर लिए जाने के कारण 5.88 वर्ग मीटर का माप अधिक लिया गया । अत: उपरोक्त बिल में संविदाकार को उक्त मद हेतु 83,176.10 रूपये के स्थान पर 83,587.70 रूपये का भुगतान करके रु0411.60 रूपये की अधिक अदायगी की गई है इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना का सच्चापन आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए ।

[ख] उपरोक्त वर्णित बिल में ही ठेकेदार को अनुबन्ध सं0 1 वर्ष 1994-95 की मद सं0 12 अनुसार प्रोवाइडिंग टार स्टील रीइन्फोरसमेंट फार आर0सी0सी0 वर्क इन्कलुडिंग बोन्डिंग जॉइंडिंग प्लेसिंग इन

लगातार पृ0.17/-

— 287 —

पोजिशन का कार्य किया जाना सम्मिलित था, हेतु 53,019.30 किलो ग्राम के लिए गए कार्य हेतु 1.50 रुपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से 79,528.95 रुपये की अदायगी की गई । परन्तु रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जांच करने पर किया गया कार्य केवल 52,694.84 कि0ग्रा0 ही बनता है जिससे स्पष्ट है कि 324.46 कि0ग्रा0 के कार्य हेतु 1.50रु की दर से 486.69 रुपये की अधिक अदायगी हुई है इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय करवाया जाए ।

(ग) उपरोक्त वर्णित बिल में ही ठेकेदार को अनुबन्ध सं0 1 वर्ष 94-95 की मद सं0 12 की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या7974 के पृष्ठ 32 पर 16 एम0एम0 साईज टोर स्टील के किए गए कार्य का पृष्ठ 31 से पृष्ठ 32 पर उठाते समय 1426.41 रनींग मीटर के स्थान पर 1626.41 रन0 मीटर उठाया गया तथा पृष्ठ 32 पर ही माप पुस्तिका संख्या 884 के पृष्ठ 94 पर गलत गणना किए जाने के फलस्वरूप 224 रन0 मीटर के स्थान पर 2 26 रनींग मीटर लिया गया परिणाम स्वरूप कुल 202 रन0 मी0 16 एम0एम0 टोर स्टील, जिसका कुल भार 319.16 कि0 ग्रा0 बनता है का अपयोजन किया गया है । उक्त निर्माण कार्य के एम0एएस0 रजिस्टर/माप पुस्तिका के अनुसार 16 एम0 टोर स्टील का उपयोग पांचवें चलत बिल में 3902.61 कि0ग्रा0 दर्शाया गया है जबकि वास्तव में हुए प्रयोग के आधार पर यह उपयोग केवल 3583.45 कि0ग्रा0 की हुआ जो कि 319.16 कि0ग्रा0 अधिक है था अनुबन्ध में टोर स्टील की जारी दर 13818.48 रुपये प्रति मी0 टन निर्धारित की गई थी । कुल 319.16 कि0ग्रा0 टोर स्टील के किए गए अपयोजन, जिसका कि द्विगुणित मुल्य 8820.60 रुपये बनता है, की वसूली शीघ्र करके इस कार्यालय को सूचित करके अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाया जाए ।

(घ) माप पुस्तिका संख्या 7974 के पृष्ठ सं0 33 पर 22 एम0एम0 साईज के टार स्टील के किए गए कार्य को 264.80 मीटर दर्शाया गया है परन्तु इसे कि0ग्रा0 में परिवर्तित करते समय 2.98 के फैक्टर को लगाने के स्थान पर 3.00 का फैक्टर लगा कर स्टील का उपयोग किलोग्राम में 794.40 दर्शाया गया है जबकि यह सही फैक्टर के अनुसार 789.10 कि0ग्रा0 टोर स्टील का अधिक उपयोग दर्शाया गया है । स्टील के द्विगुणित मूल्य अनुसार 5.3 कि0ग्रा0 स्टील की कुल कीमत 146.46 रुपये बनती है । इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय करवाया जाए ।

19. <u>वाउचर संख्या :108 दिनांक 23.3.95 राशि 10,000/-रुपये</u>

निर्माण कार्य का नाम :	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विश्राम गृह का निर्माण कार्य (निवेक्षा निर्माण कार्य)
निर्माण कार्य आदेश संख्या :	(भूमि के भारक्षमता का निरिक्षण 46 वर्ष 1994-95
निर्माण कार्य संख्या	राष्ट्रीय भूमि निरिक्षण तथा अध्ययन

प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ ।

माप पुस्तिका संख्या 7970/94 पृष्ठ-5

उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय भूमि निरीक्षण तथा अध्ययन प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ को शुद्ध राशि 9800.00 रुपये का प्रथम एवं अन्तिम बिल के रूप में चैक संख्या 597301 दिनांक 23.3.95 द्वारा भुगतान किया गया । इस बिल की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं नियमितताएं पाई गई :-

{क} इस निर्माण कार्य के लिए सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या एच0बी0{डी0बी0} विश्राम गृह/कुरुक्षेत्र/94-खण्ड-1 दिनांक 22.11.94 द्वारा राशि 5500.00 रुपये का प्राकलन/ अनुमान स्वीकृत किया गया था । इस अनुमान को स्वीकृत करते समय सचिव एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा शर्त लगाई गई थी कि यह निरीक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की निरीक्षण प्रयोगशाला से ही करवाया जाए । परन्तु वास्तविक निष्पादन में मण्डल अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता के आदेश की उलंघना करके यह कार्य राष्ट्रीय भूमि निरीक्षण तथा अध्ययन प्रयोगशाला चंडीगढ़ से राशि 10,000 रुपये में करवाया गया । इस प्रकार इस कार्य में राशि 4500/-रुपये स्वीकृत अनुमान से अधिक व्यय के की गई । अनुमान से अधिक बिना स्वीकृति से व्यय करने तथा इस कार्यके को मुख्य अभियन्ता के आदेशों की उलंघना करके निजि फर्म से करवाए जाने के लिए पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देते हुए औचित्य स्पष्ट किया जाए

{ख} इस के अतिरिक्त चण्डीगढ़ स्थित राष्ट्रीय भूमि निरिक्षण तथा अध्ययन प्रयोगशाला से निरिक्षण कार्य करवाते समय कार्यालय आदेश संख्या एच0बी0ई/एस-10-खण्ड-23/94-3974-78 दिनांक 14.9.94 द्वारा बुलाई गई दर संविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 26.9.94 थी । तुलनात्मक विवरणिका की जांच करने पर पाया गया कि चण्डीगढ़ स्थित तीन फर्मों की दर संविदाएं प्राप्त की गई । तीनों फर्मों की संविदाओं{लिफाफों} पर तिथि 26.9.94 अंकित थी तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी यह संविदाएं उसी दिन खोली दिखाई गई थी । इन संविदाओं के लिफाफे भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे उपरोक्त से स्पष्ट है कि केवल अभिलेख की खाना पूर्ति हेतु यह संविदाएं एकही फर्म से प्राप्त की गई जो कि अनियमित है । संवैतिक औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से अनुसरण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

{ग} लेखा परीक्षण में यह भी देखा गया किस्वीकृत अनुमान अनुसार बल केवल दो गढे करने का प्रावधान था जिसके उपर फर्म की दरों के अनुसार केवल 7500 रुपये का व्यय होना था । परन्तु वास्तव निष्पादन में तीन गढे खोदे गए जिससे व्यय 10,000 रुपये हो गया । इस प्रकार स्वीकृति से अधिक कार्य करवा कर फर्म को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया लगता है । इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए ।

20. <u>वाउचर संख्या: 13 दिनांक 4.3.95 राशि 5,24,257.00 रुपये</u>

" निर्माण कार्य का नाम : स्वत: वित्तीय योजना के अन्तर्गत संजौली

लगातार पृ0..19 /-

आवास बस्ती में 24 नम्बर श्रेणी-III
फ्लैटों का निर्माण कार्य (चरण-II)

ठेकेदार का नाम : श्री सतीश कुमार गोयल ।
अनुबन्ध संख्या : 10 वर्ष 1994-95
माप पुस्तिका संख्या : 7964/94, 7965/94 तथा 7966/94

इस निर्माण कार्य के लिए प्रथम चलत बिल के रूप में श्री सतीश कुमार गोयल ठेकेदार को राशि 4,83,459.00 रुपये का भुगतान चैक संख्या 963256 दिनांक 4.3.95 द्वारा किया गया । इस निर्माण कार्य की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमितताएं पाई गई

(क) इस निर्माण कार्य के लिए राशि 21,21,993.00 रुपये का व्यवहारिक प्राकलन/अनुमान सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या: एच0बी0(डी0बी0)एस0ए0एस0-संजौली/93-खण्ड-III दिनांक 9.2.94 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा तदानुसार निविदाएं बुलाई गई परन्तु इस कार्य का आरम्भ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई । कार्य आरम्भ करने के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस कार्य की तकनो तकनीकी स्वीकृति के लिए राशि 58,94,130.00 रुपये के अनुमान/ प्राकलन मुख्यालय को प्रस्तुत किए गए । परन्तु आयुक्त एवं सचिव के स्वीकृति पत्र संख्या:एच0एस0जी0-6(ई)6-1/91 दिनांक 24.4.92 द्वारा केवल 34,88,619.00 रुपये की ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा सचिव एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा भी इसी उपरोक्त कारण से तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की और केवल व्यवहारिक प्राकलन/अनुमान ही स्वीकृत किया गया । सचिव एवं मुख्य अभियन्ता ने अपने स्वीकृति पत्र में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने हेतु कहा था ताकि संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके । परन्तु मण्डलाधि- -कारी द्वारा इस सन्दर्भ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो कि अनियमित ही नहीं बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक है । इस निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब प्राप्त करके अनुपालना लेखा परीक्षण को दिखाई जाए ।

21. <u>वाउचर संख्या :170 दिनांक 28.6.94</u> :- श्री सतीश गोयल, संविदाकार को इस वाउचर द्वारा सन्जौली में स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 32 फ्लैटों (आन्तरिक जल आपूर्ती एवं सैनेटरी इन्सटालेशन सहित सहित-) के निर्माण कार्य के सन्दर्भ में वर्ष 1991-92 के एग्रीमैन्ट संख्या 9 के तेरहवें चलित बिल का भुगतान किया गया । इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 843/92 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ-50 पर मद संख्या 45/53 (एग्रीमैन्ट मद संख्या:53) जो कि फिनिशिंग वाल्ज विद वाटर प्रूफिंग सीमेन्ट ऑफ अप्रूव्ड ब्रैण्ड बारे है, का योग 930.55 वर्गमीटर लिया गया है जबकि वास्तव में यह योग 910.64 वर्गमीटर(~~अर्थात×सहि×यह×है×लगभग~~ बनता है । इस प्रकार एक ब्लाक हेतु यह प्रमात्रा 19.91 वर्गमीटर (930.55-

लगातार पृ0..20/-

-910.64 वर्ग मीटर‖ अधिक ली गई है तथा दो ब्लाकों हेतु यह प्रमात्रा 39.82 वर्गमीटर ‖19.91 वर्गमीटर×2‖ अधिक ली गई है तथा तेरहवें चलित बिल का भुगतान करते समय माप पुस्तिका संख्या 897794 में भी यह प्रमात्रा उपरोक्त त्रुटिनुसार ली लेते हुए इसका भुगतान 5/-रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किया गया है क्योंकि इस माप पुस्तिका में इस मद का पूर्ण योग 2344.92 वर्गमीटर के स्थान पर 2384.74 वर्गमीटर हस्तांतरित किया गया है । इस प्रकार संविदाकार को 39.82 वर्गमीटर का रु05/-रुपये प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से रु0199.10 रुपये अर्थात 199.00 रुपये का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

22. वाउचर संख्या 159 दिनांक 31.3.1995 :- इस वाउचर द्वारा श्री सतीश गोयल, संविदाकार को सन्जौली में स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के 32 फ्लैटों ‖आन्तरिक जल आपूर्ती एवं सैनेटरी इन्सटालेशन सहित‖ के निर्माण के सन्दर्भ में वर्ष 1991-92 के एग्रीमेन्ट संख्या 9 के चौदहवें चलित बिल का भुगतान निम्नानुसार किया गया है

1‖ नकद	रु0 5,062.00
2‖ चैक संख्या:597317 दिनांक 31.3.95 द्वारा	रु098,785.00
कुल योग	रु01,03,847.00

इस बिल के सन्दर्भ में अंकेक्षण आपत्तियां निम्नानुसार है :-

‖क‖ <u>शडूयल आफ क्वांटिटी से अधिक मदों का निष्पादन</u>

निम्नलिखित मदों का निष्पादन चौदहवें चलित बिल तक की शडूयल आफ क्वांटिटी में निर्धारित प्रमात्रा से काफी अधिक हो चुका था :-

क्र0सं0	मद संख्या	मद का संक्षिप्त विवरण	शडूयल आफ क्वांटिटी में निर्धारित प्रमात्रा	चौदहवें चलित बिल तक निष्पादित प्रमात्रा	मद की दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1/1	अर्थ वर्क एण्ड इटस डिस्पोज़ल	2826.56 घन मीटर	3239.37 घन मीटर	40/- रुपये प्रति घन मी0
2.	3/3 ‖डी‖	फोम वर्क आफ ओर्डीनरी टिम्बर इन फ्लैट सरफेसिज़	1949.40 घनमीटर	3653.77 घनमीटर	43/-रुपये प्रतिघन मीटर
3.	3/3‖ई‖	फोम वर्क आफ आर्डीनरी टिम्बर इन ऐजिज़ आफ स्लैबज़ एण्ड ब्रेक्स इन फ्लोरज़ एण्ड वाल्ज़	21.60 ~~घनमीटर~~ रनिंग मी0	202.90 ~~घनमीटर~~ रनिंग मी0	25/-रुपये ~~प्रतिघन मीटर~~ प्रति रनिंग मी0
4.	6/5	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइन्ग डेम्प प्रूफ कोर्स 38 एमएम थिक वि सीमेन्ट कन्क्रीट 1:2:4	5.92 वर्गमीटर	28.84 वर्गमीटर	43/-रुपये प्रतिवर्ग मीटर

लगातार पृ0..21/-

5. 7/7(डी)	प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग सीमेन्ट कन्क्रीट वर्क 1:2:4 स्टेयर केसेज(एक्सेप्ट स्पायरल व स्टेयर केसेज)	10.44 घनमीटर	17.24 घनमीटर	1150/-रूपये प्रतिघनमीटर
6. 17/17	प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग प्लेन एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट सीलिंग	457.40 वर्गमीटर	569.52 वर्गमीटर	88/-रूपये प्रतिवर्ग मीटर
7. 19/22(बी)	फिक्सिंग एल्युमिनियम टोवर बोल्टस(बेरल टाईप) विद स्क्रीयूज एटसेटरा 150x10 एम0एम0	640 नग	1024 नग	2/-रू0 प्रति नग।
8. 29/32	कोरूगेटिड जी0आई शीट रूफिंग	729.24 वर्ग मीटर	848.30 वर्ग मीटर	169/-रूपये प्रति वर्गमीटर
9. 31/34	प्रोवाइडिंग वेली 90 सी0 एम ओवर आल इन प्लेन जी0आई शीट फिक्सड विद गैल्वेनाइज्ड आयरन जे और एल हुक्स	40.32 रनिंग मी0	48 रनिगं मी0	129/-रूपये प्रति रनिगं मी0
10. 37/49(ए)	स्टील वर्क वेल्डिड इन सेक्शनस इन बीमस	140.64 क्विंटल	201.627 क्विंटल	1890/-रूपये प्रति क्विंटर
11. 42/46	अपलाईंग टू कोटस आफ प्रिजर्वेटिव ऑन वुड	80 वर्ग मीटर	257.60 वर्गमीटर	7/-रूपये प्रति वर्गमीटर
12. 44/48	6 एम0एम0सीमेन्ट प्लास्टर इन सीलिंग इन सीमेन्ट मोर्टर 1:3(1 सीमेन्ट 3 सेन्ड)	1857.16 वर्गमीटर	2414.64 वर्गमीटर	24/-रूपये प्रति वर्ग मी0
13. 46/50	15 एम0एम0सीमेन्ट प्लास्टर इन सिंगल कोट फोर इंटिरियर प्लास्टरिंग	3231.88 वर्ग मीटर	6669.98 वर्ग मीटर	27/-रूपये प्रतिवर्ग मीटर
14. 47/51	व्हाईट वाशिंग विद लाईम अन्डर सीलिंग ऑव अन्डेकोरेटिड सरफेस (टू कोटस)	2197.32 वर्गमीटर	2213.44 वर्गमीटर	2/-रूपये प्रतिवर्ग मीटर
15. 49/53	फिनिशिंग वाल विद वाटर प्रूफिंग सीमेन्ट पेन्ट ऑफ अप्रूवड ब्रेण्ड एण्ड मेनुफेक्चर	2081.56 वर्गमीटर	2344.92 वर्गमीटर	10/-रूपये प्रति वर्गमीटर

<u>एनेक्सचर "बी"</u>

1. 12/19 प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग सेण्डकास्ट/कास्ट आयरन स्पन स्पिगोट एण्ड सोकेट सोएल:-

लगातार पृ0..22/-

(ए) 75 एम०एम० नोमिनल साईज़	270.88 रनिंग मी०	304.48 रनिंग मी०	149/-रुपये प्रतिरनिंग मी०
(बी) 100 एम०एम० नोमिनल साईज़	118.40 रनिंग मी०	264.30 रनिंग मी०	158/-रुपये प्रतिरनिंग मी०

अत: उपरोक्त अत्याधिक एवं असाधारण बमात्रा में डेविएशन के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) चौदहवें चलित बिल तक संविदाकार को सीमेन्ट की 7735 बोरियां जारी की गई है जबकि इस बिल तक सीमेन्ट की खपत मात्र 7342 बोरियां ही है । अत: संविदाकार को इतना अधिक सीमेन्ट जारी करने के औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) चौदहवें चलित बिल से सम्बन्धित सीमेन्ट खपत विवरणिका को अधिशासी अभियन्ता से हस्ताक्षरित नहीं करवाया गया है जिसे अब हस्ताक्षरित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

23. पी०आर सं० 2906 दिनांक 31.3.95 के अवलोकन करने पर पाया गया कि मै० आर०के० ट्रेडर, 62 प्रथम फ्लोर, दी माल शिमला-1 से सप्लाईंग करोमियम प्लेटिड स्टोप काक एंगल काक 15 एम०एम० डाया मेल व फिमेल एन्ड (ए०एस०एल० मेक केट न०513-ए) 64 अदद 190/-रुपये प्रति की दर से खरीदे गए । परन्तु बिन कार्ड सं० 61 पर उक्त मद की प्रविष्टी करते समय केवल 32 अदद ही दर्ज किए गए । इस प्रकार भण्डार में 32 अदद सप्लाईंग करोमियम प्ले-टिड स्टाप काक कम लिए गए । 31.3.95 को उक्त मद का बकाया 127 अदद के स्थान पर 95 अदद ही लिया गया जिसका वास्तविक सत्यापन भी सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया है गणना में कम लिए गए 32 अदद सप्लाईंग क्रोमियम प्लेटिड स्टाप काक की कीमत जारी दर 190 /-रुपये प्रति की दर से कुल 6080 रुपये बनती है इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

24. बिन कार्ड न० एम०-115 के अवलोकन करने पर पाया गया कि एलुमिनि-यम हेंडल 4" का बकाया दिनांक 31.3.95 को 708 न० बनता है परन्तु यह संख्या 624 ही ली गई है तथा सहायक अभियन्ता द्वारा 31.3.95 को प्रत्यक्ष सत्यापन के समय भी यह संख्या 708 के स्थान पर 624 ही दर्शाई थी । इस प्रकार स्टाक में कम पाए गए 84 अदद हेंडल 4" (708-624) की 8.05 रुपये प्रति हेंडल की दर से कुल कीमत रु 676.20 रुपये दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

25. <u>समायोजन वाउचर सं० 1 माह 3/95 (द्वितीय) राशि 320149.54 रुपये</u>

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा राशि 320149.54 रुपये के लिए स्टाक एवं स्टोर के अधिशेष का समायोजन दिखाया गया है । लेखा परीक्षण में जांच करने पर यह समायोजन गलत पाया गया । दिनांक 31.3.95 को जो शेष स्टोर की सूचि तैयार की गई है उसके अनुसार

लगातार पृ०.23/-

स्टोर कीमत 1754096.84 रुपये लिया गया है तथा खाते में स्टोर की कुल शुद्ध कीमत 31.3.95 को 1433947.30 रुपये ली गई है व अधिशेष 320149.54 रुपये दिखाया गया है जो कि जांच करने पर गलत पाया गया । लेखा परीक्षण में स्टोर सूचि के अनुसार स्टोर की कीमत दिनांक 31.3.95 को 1768724.17 रुपये बनती है जिसके आधार पर स्टोर अधिशेष 334776.87 रुपये बनता है । इस प्रकार स्टोर अधिशेष 14627.33 रुपये कम दिखाया गया है । इस प्रकार लाभ हानि खाते में 14627.33 रुपये से लाभ कम दिखाया गया है । जिसके आवश्यक समायोजन हेतु प्रविष्टी डाली जाए व की गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाएँ । अन्तर का विवरण निम्न वर्णित है :-

बिनकार्ड नं०	मद का नाम	मात्रा जारी दर	राशि जो जारी	राशि जो ली गई	अन्तर आती है	कैफियत
बीएम-11	टोरस्टील 25 एम०एम०	4.318 / 16223 प्रतिटन	70786.95	65732.91	(-)5054.04	मात्रा 4.318 के स्थान पर 4.650 ली गई ।
बी०एम 115	एल्यू०हेडल 4"	708 / 8.05 प्रति	5023.20	5699.40	(+)676.20	मात्रा 708 के स्थान पर 624 ली गई
बीएम-132	एल्यूटावर बोल्ट 210×10एमएम	448 / 21.60	9967.10	9676.80	(-)290.30	जारी दर 3/ स्टोर वार्षि-क सहित कीमत आंकी गई ।
एस०एम 58	क्रोम०प्लेटिड ग्राब	92 / 70 प्रति	4968.00	6440	(+)1472/-	जारी दर 70/- थी परन्तु यह 54/-रु०ली गई
एस०एम 58	क्रोम०प्लेटिड टावलरेल 24"	38 / 165 प्रति	4801.68	6270	(+)1468.32	जारी 165रु०के स्थान पर 126.36रु०ली गई
एस०एम 59	सी०पी०काक से 15 एमएम	60 / 195 प्रति	8700.00	11700	(+)3000	जारी दर195/- के स्थान पर 145/-ली गई
एस०एम 60	सी०पी०बोटल ट्रेप 15 एमएम	60 / 285 प्रति	11340.00	17100	(+)5760	जारी दर 285 के स्थान पर 189/-ली गई
एस०एम 61	सी०पी०स्टेप काक 15 एमएम	127 / 190 प्रति	18050.00	24130	(+)6080	मात्रा 126 के 95/-ली गई
एस०एम० 63	क्रोम०प्ले०वेबकाक 15 एमएम	114 / 190 प्रति	16005.60	21660	(+)5654.40	जारी दर 190 के स्थान पर 140 ली गई

एस०एम 65	ग्लास सैल्फ 600×12	32 / 385	11508.80	12320(+)811.20	जारी दर 385 के स्थान पर 359.65 ही ली गई।
एस०एम 78	वाश बेसिन 550×400	32 / 385	12320.00 —	(-)12320	भण्डार में यह सामान [illegible] 19.5.95 को प्राप्त हुआ था
एस०एम 2	फूल व ग्रास वाल्व ½" Ø	4 / 23.85 प्रति	—	95.40(+)95.40	कीमत लेखांकित नहीं की गई।
-"- 9	जी०आई०एलबो 80 एमएम Ø	15 / 13.10	222.70	196.50(-)26.20	मात्रा 15 के स्थान पर 17 ली गई थी।
-"- 10	जी०आई०टी ½" Ø	159 / 12.95 दर्जन	194.25	171.58(-)22.67	मात्रा 159 के स्थान पर 15 ही ली गई तथा रेट दर्जन के बजाए प्रति के हिसाब से लगाया गया
-"- 41	जी०आई०पाईप 50 एमएम Ø	16.18 रनमी० / 31.45	191.84	508.86(+)317.02	मात्रा 16.18 के स्थान पर 6.10 ली गई
-"- 76	जी०आई० रडयूस सोकेट 1½"×¾ Ø	19 / 10.00	110.00	190(+)80	मात्रा 19 के स्थान पर 11 ही ली गई
-"- 81	जी०आई०यूनियन 40 एमएम Ø	[illegible] / 20	[illegible] 40.00	[illegible] —(-) 40	मात्रा शून्य के स्थान पर [illegible] 2 ली गई।
एस०एम 77	बी०बी०बिब काक लांग बाडी 15	86 / 270.00 प्रति	16254.00	23220(+)6966	दर 270 के स्थान पर 189/-ही लिए गए

योग (+)..14627.33 रुपये

उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशेष के रूप में दर्शाई गई राशि 3,20,149.54 के स्थान पर 3,34,776.87 रुपये बनती है। इतनी अधिक मात्रा में अधिशेष के रूप में दर्शाई गई राशि गलत प्रतीत होती है। इस राशि की दोबारा जांच करके जांच के परिणामों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

लगातार पृ0..25/-

26. <u>वाहन संख्या:एच0आई0एस-2744 की लागबुक का रख रखाव :-</u>

वाहन की लाग बुक का रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया गया है । लाग बुक में विहित कालम प्रक्रियानुसार पूरे नहीं भरे जाते तथा इसके अतिरिक्त जो अन्य त्रुटियां पाई गई वे निम्नानुसार है :-

(क) दिनांक 20.4.1994 को प्रारम्भिक मीटर रीडिंग 1860 थी तथा उस दिन वाहन 60 किलोमीटर चला तथा इस प्रकार उस दिन की अन्तिम मीटर रीडिंग 1920 बनती है तथा लाग बुक में भी यही दर्शाई गई है । किन्तु दिनांक 21.4.1994 को वाहन की प्रारम्भिक मीटर रीडिंग 1929 दर्शाई गई है । इससे प्रतीत होता है कि या तो लाग बुक में वाहन की वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं दर्शाई जाती या फिर चालक ने वाहन 9 किलोमीटर अन्यथा प्रयोग किया है । अत: इस सन्दर्भ में यथोचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

(ख) दिनांक 2.5.1994 तथा दिनांक 3.5.1994 को वाहन क्रमश: 216 किलोमीटर व 81 किलोमीटर चला तथा दोनों दिन वाहन का प्रयोग स्थानीय अर्थात शिमला में ही किया गया । लाग बुक के अनुसार दोनों दिन वाहन का प्रयोग बोर्ड मीटिंग का प्रबन्ध करने हेतु तथा बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोर्ड मीटिंग में शामिल होने हेतु दर्शाया गया है । किन्तु न तो लाग बुक से स्पष्ट होता है और न ही अंकेक्षण को बताया गया कि किन-किन बोर्ड सदस्यों ने इस वाहन का प्रयोग किया है । अत: पूर्णविवरण सहित स्थिती स्पष्ट की जाए । इसके अतिरिक्त यह वाहन दिनांक 2.5.1994 को हि0 प्र0 सचिवालय से तथा दिनांक 3.5.1994 को रैस्ट हाउस से स्नोडन अस्पताल ले जाया गया तथा इस प्रयोजन हेतु यह वाहन कितने किलोमीटर चला यह भी लाग बुक में स्पष्ट नहीं है । अत: यह सूचित किया जाए कि इन दोनों दिन वाहन किस प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजन हेतु स्नोडन अस्पताल ले जाया गया । इसके अतिरिक्त इन दोनों दिन यह वाहन जहां-जहां ले जाया गया उन स्थानों की दूरी का पूर्ण ब्यौरा (किलोमीटरों में) भी सूचित किया जाए क्योंकि लागबुक में प्रत्येक स्थान की पृथक दूरी की अपेक्षा दोनों दिन एक कुल ही प्रविष्टियां की गई हैं ।

(ग) दिनांक 2.6.1994 को वाहन शिमला से सोलन शासकीय कार्य से ले जाया गया तथा जाने व आने की एक कुल प्रविष्टि की गई है तथा इसकी दूरी 150 किलोमीटर दर्शाई गए है जो सही प्रतीत नहीं होती अत: इस सम्बन्ध में परिवहन अथवा लोक निर्माण विभाग से शिमला से सोलन दूरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करके यथोचित कार्यवाही की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए ।

(घ) दिनांक 3.12.1994 को यह वाहन श्री एन0के0सिधंल, सहायक अभियन्ता द्वारा शासकीय कार्य से खलीनी शिमला से रोहडू ले जाया गया तथा इस यात्रा सम्बन्धि यात्रा की दूरी 125 किलोमीटर दर्शाई गई जबकि वापसी यात्रा में रोहडू से संजौली की दूरी 130 किलोमीटर दर्शाई गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि संजौली से खलीनी की दूरी भी लगभग 6 किलोमीटर है । इस प्रकार यदि खलीनी से

लगातार पृ0..26/-

रोहड़ू की दूरी 125 किलोमीटर है तो रोहड़ू से सन्यौली की दूरी 119 किलोमीटर होनी चाहिए । अत: लाग बुक में 11 किलोमीटर {130-119=11 किलोमीटर} दूरी अधिक दर्शाई गई प्रतीत होती है इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि दिनांक 31.1.95 को यही वाहन मण्डल के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्ट्राबेरी हिल्स शिमला से रोहड़ू ले जाया गया तथा रोहड़ू से स्थानीय यात्रा सहित दूरी मात्र 110 किलोमीटर दर्शाई गई है । अत: इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

7 {ङ.} दिनांक 22.12.1994 को यह वाहन श्री एन०के० सिंघल, सहायक अभियन्ता द्वारा सन्यौली से रामपुर शासकीय कार्य द्वारा ले जाया गया तथा इस प्रयोजन हेतु यात्रा की दूरी 125 किलोमीटर दर्शाई गई है जो सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि इसी अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.94 को वापसी यात्रा में रामपुर से दत्ती की दूरी 105 किलोमीटर दर्शाई गई है तथा दत्ती से सन्यौली स्थित उप मण्डल न०-2 की दूरी 4 किलोमीटर से अधिक नहीं है । अत: इस प्रकरण में दिनांक 22.12.1994 को सन्यौली से रामपुर की दूरी अनावश्यक रूप से 16 किलोमीटर {125-4-105 किलोमीटर=16 किलोमीटर} अधिक दर्शाई गई प्रतीत होती है । इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

27. <u>अनुपूरक समायोजन वाउचर संख्या 18 माह 3/95</u> :- इस समायोजन वाउचर द्वारा मण्डल के वाहन संख्या एचआईएस-2744 की माह 3/95 की रु०28405.65 रुपये की आउट टर्न" { out turn } का समायोजन किया गया है । एत सम्बन्धी अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि माह 3/95 में निम्न विवरणानुसार वाहन का प्रयोग बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी {प्रशासन} द्वारा भी विधान सभा सम्बन्धी कार्य हेतु किया गया है :-

क्र०सं० दिनांक	मीटर रीडिंग	किलोमीटर
1. 16.3.95	20068/20108	40
2. 27.3.95	20694/20736	42
3. 13.3.95	19925/19953	28
	कुल योग :-	110 किलोमीटर

उपरोक्त समायोजन वाउचर के साथ संलग्न विवरणिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त 110 किलोमीटर की गई यात्रा से सम्बन्धित व्यय जो कि रु०13.65 रुपये के हिसाब से रु०1501.50 रुपये बनता है, को स्थापना व्यय के विरुद्ध डेबिट न करके निर्माण कार्य को डेबिट किया गया है जो न केवल लेखाकरण के सिद्धान्त के विरुद्ध है अपितु आबंटियों पर भी अनावश्यक वित्तीय बोझ है । अत: इस सन्दर्भ में यथोचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

28. <u>समायोजन वाउचर संख्या:41 माह 3/95</u> :- उक्त समायोजन वाउचर द्वारा मण्डल के वाहन संख्या एचआई एस-2744 की माह 2/95 की रु०26,531.25 रुपये की आउट टर्न का समायोजन किया गया है ।

लगातार पृ०..27/-

वाहन की लागबुकके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाहन दिनांक 25.2.1995 को बोर्ड के मुख्यालय के वाहन संख्या एच०आई०एस-144 के टो-चेन (Toechain) हेतु प्रयोग किया गया तथा इस प्रयोजन हेतु वाहन 30 किलोमीटर चला । किन्तु आउट टर्न बनाते समय इन 30 कि० मीटर का व्यय, जो कि रु013.65 रुपये के हिसाब से रु0409.50 रुपये अर्थात 410.00 रुपये बनता है, मण्डल के वाहन संख्या एच०आई०एस-xxxx 2744 को ही डेबिट किया गया है जबकि वास्तव में यह व्यय उस वाहन को डेबिट होना था जो कि इस वाहन द्वारा टो-चेन से लाया गया है । अत: इस व्यय को मुख्यालय के वाहन संख्या एच०आई०एस०-144 के विरुद्ध डेबिट किए जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना अनुवर्ती अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

28. <u>समायोजन वाउचर संख्या 36 माह 3/95</u> :-

इस समायोजन वाउचर द्वारा श्री भोपाल सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता के रु01866.00 रुपये के स्टाक एडवांस का समायोजन किया गया है । इस समायो-जन से सम्बन्धित अभिलेख व हस्त रसीद(Hand Receipt) के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 1.12.1994 को श्री सुल बी०के०ट्रेडर्ज, न्यू शिमला से कैश मैमो संख्या 360 दिनांक 1.12.1994 के अन्तर्गत रु070. 70 रुपये में एक मेज का शीशा ( ) खरीदा गया जिसे मुख्यालय कन्टीन्जे न्सीज (Head office Contingencies) में चार्ज किया गया तथा उक्त शीशे को बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी को जारी (issue) किया गया दर्शाया गया है । किन्तु न तो उक्त अधिकारी से एतसम्बन्धी कोई रसीद प्राप्त की गई और न ही इस मद को स्टाक में लिया गया है । इसके अतिरिक्त न तो बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी के लिए मण्डल की निधि में से लेखन सामग्री वस्तुओं(Stationary article) की खरीद करना उपयुक्त है और न ही इस व्यय को मुख्यालय कन्टीन्जे-न्सीज (Contingencies) में चार्ज करना उपयुक्त है । अत: इस सन्दर्भ में यथोचित कार्यवाही अब की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

29. <u>समायोजन वाउचर संख्या 41 माह 3/95</u> :-

इस समायोजन वाउचर द्वारा वाहन संख्या एच०आई०एस-2744 की माह 12/94 की रु025,116.00 रुपये की आउट टर्न (out turn) का समायोजन किया गया है । वाहन की लाग बुक के अवलोकन से विदित होता है कि वाहन 3.12.1995 को रोहड़ू से वापिस शिमला आया तथा इन दोनों यात्राओं में 255 किलोमीटर की दूरी संलिप्त थी एत सम्बन्धी आउट टर्न बनाते समय सोशल हाउसिंग कलौनी रोहड़ू को 284 किलोमीटर का व्यय चार्ज किया गया जो कि वास्तविक दूरी से 29 किलोमीटर (284-255 किलोमीटर अधिक है । इस प्रकार न केवल उक्त आवास कालोनी के आवंटियों पर 29 किलोमीटर का व्यय रु013.65 रुपये प्रतिकिलामीटर के हिसाब से रु0395.85 रुपये अर्थात 396/-रुपये का अनावश्यक बोझ डाला गया है अपितु ऐसा करना लेखांकरण के सिद्धान्तों

गया दिना. 4-12-94 को रोहड़ू से

के भी विरुद्ध है । इसके विपरीत यह वाहन दिनांक 22.12.94 को रामपुर से जाया गया तथा 23.12.94 को रामपुर से वापिस शिमला लाया गया व इन दोनों यात्राओं में 230 किलोमीटर की दूरी संलिप्त थी । किन्तु (out turn) का समायोजन करते समय इन यात्राओं से सम्बन्धित व्यय को रामपुर कलौनी में चार्ज ही नहीं किया गया है । अत: उपरोक्त दोनों प्रकरणों के सन्दर्भ में यथोचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए ।

30. अनुपूरक समायोजन वाउचर संख्या 25 माह 3/95 :-

उपरोक्त वाउचर द्वारा मण्डल के ट्रक संख्या एच0पी0एस-1340 की माह 9/93 की लाग बुक के आधार पर आउट टर्न तैयार करके रु03549.60 रु0 के व्यय का समायोजन किया गया ।

वाहन की माह 9/93 की लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि यह ट्रक दिनांक 7.9.93 से 21.9.93 तक लगातार सहायक अभियन्ता, सोलन के पर्यवेक्षण में रहा तथा सोलन में 15 दिनोंकी अवधि में इस ट्रक का प्रयोग मात्र 3 दिन किया गया तथा वह भी मात्र 2 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :-

क्र0सं0	दिनांक	चलने का समय	पहुंचने का समय	कहां से कहां तक	दूरी	कैफियत
1.	7.9.93	1.30 दोपहर	5.25 सांय	सन्जौली स्टोर से सोलन आवास कलौनी	60 कि0मी0	सोलन के लिए सरिया ले जाया गया ।
2.	8.9.93	9.00 प्रात:	12.55 दोपहर	—		सोलन में सरिया उतारा गया ।
3.	9.9.93 से 13.9.93			—		सोलन में वर्षा के कारण ठहराव ।
4.	14.9.93	8.45 प्रात:	5.15 सांय	—	2 कि0मी0	सोलन में स्थानीय मिट्टी का ढुलान
5.	15.9.93	9.00 प्रात:	5.10 सांय	—यथोपरि	2 कि0मी0	यथोपरि
6.	16.9.93	9.00 प्रात:	5.35 सांय	— यथोपरि	2 कि0मी0	यथोपरि
7.	17.9.93 से 20.9.93			—		सोलन में वर्षा के कारण ठहराव ।
8.	21.9.93	3.30. बाद दोपहर	5.40 सांय	सोलन आवास कालोनी से सन्जौली स्टोर	60 कि0मी0	मुख्यालय के लिए खाली वापिस ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ट्रक बिना किसी उद्देश्य तथा बिना कोई कार्य के सोलन में खड़ा रखा गया तथा सोलन में ट्रक का जो थोड़ा सा उपयोग भी किया गया है वह इस पर संलिप्त व्यय

के दृष्टिगत नगण्य (negligible) है क्योंकि एक तो 15 दिनों में ट्रोलन में ट्रक मात्र 6 कि0 मी0 चला तथा दूसरा ट्रक ड्राईवर को अनावश्यक रूप से 15 दिनों के यात्रा भत्ते का भुगतान करना पड़ा। इस गम्भीर अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकार हुई कुल हानि का आंकलन करके इस में संलिप्त राशि की प्रतिपूर्ती दोषी कर्मचारी से की जाए तथा अनुपालना अनुवर्ती अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

31. <u>सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव</u> :- अंकेक्षण के समय बार-बार सुझाव के बावजूद भी सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव सन्तोषजनक नहीं है। अंकेक्षण के दौरान जिन तीन सेवा पुस्तिकाओं की जांच की गई है उनमें निम्न लिखित त्रुटियां पाई गई हैं जिन्हें दूर करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए तथा भविष्य में सभी सेवा पुस्तिकाओं का उचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाए :-

(क) <u>श्री लेख राज शर्मा, वर्कचार्ज सुपरवाईजर :-</u>

(1) सेवा पुस्तिका के द्वितीय खण्ड में उनका जीवन वृत (Bio data) नहीं भरा गया।

(2) सेवा पुस्तिका के द्वितीय खण्ड के साथ संलग्न उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों की सूची में किसी भी आश्रित की आयु नहीं दर्शाई गई है जबकि इस सूची में उन्होंने यह दर्शाया है कि उनके बच्चों, पत्नी व माता-पिता के अतिरिक्त उनका एक भाई भी उन पर आश्रित है। उन्होंने यह सूची कब कार्यालय में प्रस्तुत की इसका न तो सूची में कहीं उल्लेख है और न ही इस सूची में कोई तिथि अंकित है। इसके अतिरिक्त यह सूची विधिवत डायरी भी नहीं करवाई गई है। अत: यह सूची किसी भी लाभ हेतु मान्य नहीं है तथा सम्बन्धित कर्मचारी से पुन: यह सूची उपरोक्त कमियों को दूर करते हुए प्राप्त की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(3) वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करते समय सेवा पुस्तिका के विहित कालम प्रक्रियानुसार नहीं भरे गए हैं।

(ख) <u>श्री अशोक कौशल, कनिष्ठ सहायक</u> :-

(1) सेवा पुस्तिका के द्वितीय व तृतीय खण्ड में उनका जीवन वृत (Bio-data) नहीं भरा गया है।

(2) वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करते समय उनके हस्ताक्षर नहीं प्राप्त किए गए जबकि कर्मचारी मण्डल कार्यालय में ही कार्यरत है।

(3) वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करते समय विहित कालम प्रक्रियानुसार नहीं भरे गए है।

(ग) <u>श्रीमती मधु, आशुटंकक :-</u>

(1) सेवा पुस्तिका के तृतीय व चतुर्थ खण्ड में उनका जीवन वृत(Bio-data) नहीं भरा गया है।

(2) उनकी सेवा पुस्तिका के तृतीय खण्ड के पृष्ठ-3 के साथ लगी उन पर आश्रित उनके परिवार सदस्यों की सूची के अनुसार (जो कि उन्होंने

कार्यालय में 21.9.1991 को प्रस्तुत की है। उनके 34 वर्षीय पति भी उन पर आश्रित दर्शाए गए है। वे उन पर क्योंकर आश्रित हैं, इस सन्दर्भ में भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32. <u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

33. <u>निष्कर्ष</u> :- पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेखाओं के रख रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप नियन्त्रक (आडिट)
स्थानीय निधि लेखा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(2)15(×1 /23/88 खण्ड-4, दिनांक, शिमला-2.....

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

<u>दुस्ती</u> 1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2. आयुक्त एवम् सचिव(आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.

3. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता हि०प्र० आवास बोर्ड निगम विहार शिमला-2.

4. श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक(ले०प०) द्वारा.....

5. श्री सेन राम रंजन, अनुभाग अधिकारी, द्वारा..........

3/10/96
उप नियन्त्रक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

xxx

<u>के०सी०शर्मा</u>